न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :—	**94 / 2021**	**जी.सी.एम.एस. नम्बर :—**	**2021 / 142**
दायर दिनांक :—	**30.11.2021**	**निर्णय दिनांक :—**	**06.11.2024**

1. एलची पत्नी सोहनलाल जाति विश्नोई निवासी चंदनपुरा तहसील लोहावट जिला फलोदी
2. नवलाराम पुत्र चेनाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. माखरराम पुत्र चांदाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. लिछमणराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भू—अभिलेख निरीक्षक भू—अभिलेख निरीक्षक कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. पटवारी पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. आदूराम पुत्र जवाराराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. देवाराम पुत्र धोंकूराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. लौंगाराम पुत्र तेजाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. चांदाराम पुत्र धोंकलराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. अशोक कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. सुनील कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. हरीश कुमार पुत्र भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. मीरा पत्नी भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

3. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 [illegible]ार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:47 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नबर 219 रकबा 2692 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वर्तमान में अलग अलग खातेदारों

06.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

को भूमि आवंटन हो रखी है तथा शेष रकबा 2008—14 बीघा भूमि वर्तमान में सरकारी खाते में दर्ज है तथा रकबा 683—06 बीघा भूमि अलग अलग खातेदारों के ना से खातेदारी दर्ज है। ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 219 में कुल रकबा 32 किसानों को अलग अलग रकबा आवंटन हुआ है इस खसरे में कुल आवंटित रकबा 683—06 बीघा तथा आवंटित भूमि को खसरा नम्बर 219 के अलग अलग बंट्टा नम्बर राजस्व रेकर्ड में अंकित करते हुवे आवंटियों के खातेदारी में दर्ज हुवे। प्रार्थीगणों के नाम से खसरा नम्बर 219 रकबा 2692 बीघा में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 219/14 रकबा 15 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 219/8 रकबा 15 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 के नाम 219/21 रकबा 22 बीघा, प्रार्थी संख्या 4 के नाम से खसरा नम्बर 219/25 रकबा 40 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तथा इस प्रकार ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 219 रकबा 2692 में कुल 32 बट्टा नम्बर अंकित किये गये इस प्रकार उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि में कुल 683—06 बीघा भूमि आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज हुई तथा शेष रकबा 2008—14 बीघा भूमि सरकारी के रूप में दर्ज है। ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 219 काफी बड़ा व लम्बा चौड़ा खसरा होने से प्रार्थीगणों के खातेदारी भूमि बाबत तहसीलदार की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर मौके अनुसार तरमीम की जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से की गई तरमीम हो दुरूस्त किया जाकर मौका रिपोर्ट अनुसार जहा खातेदार का कब्जा कातश है वहा पर तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 की और से श्री गोरधनराम जयपाल ने वकलातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 की और से श्री करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 219/14 रकबा 15—00 बीघा, खसरा नम्बर 219/8 रकबा 15—00 बीघा, खसरा नम्बर 219/21 रकबा 22—00 बीघा, खसरा नम्बर 219/25 रकबा 40—00 बीघा भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट [illegible] करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा [illegible] कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का कानासर की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.04.2023 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:47 IST
Reason: SelfAttested

06.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 219/14 रकबा 15–00 बीघा, खसरा नम्बर 219/8 रकबा 15–00 बीघा, खसरा नम्बर 219/21 रकबा 22–00 बीघा, खसरा नम्बर 219/25 रकबा 40–00 बीघा भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.04.2023 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.11.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कलक्टर
जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2025.09.23 14:15:47 IST
Reason: SelfAttested